सार्वजनिक निविदा सूचना।

नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत स्थित पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पार्किंग पार्क के दोनो ओर कबाड़ी बाजार एवं गांधी रोड स्थित वाहन पार्किंग हेतु दिनांक 01.06.2017 से दिनांक 31.05.2018 तक कुल एक वर्ष के लिये निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 30.05.2017 की अपरान्ह 4.00 बजे तक सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। जो कि दिनांक 31.05.2017 को प्रातः 10.30 बजे गठित निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी। इच्छुक व्यक्ति/फर्म निविदा सूचना प्रकाशन की तिथि से दिनांक 30.05.2017 तक किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रपत्र रू0–1150 भूमि अनुभाग में जमा कराकर प्राप्त कर सकते है। निविदा प्रपत्र में दर्शित सभी प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने आवश्यक है। नगर निगम द्वारा एक वर्ष हेतु रू0 687000 का पार्किंग शुल्क निर्धारित है जिसकी 10 प्रतिशत अर्थात रू0 68700 की सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून के नाम प्लेज होगी को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी अनिवार्य है। निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकारी नगर आयुक्त में निहित होगा। निविदा की शर्ते/निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 30.05.2017 की अपरान्ह 12.00 बजे तक भूमि अनुभाग कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है तथा निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जाय। निविदा सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण नगर निगम की वेबसाईट www.naggarnigamdehradun.com पर भी उपलब्ध है।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून

नगर आयुक्त
नगर निगम, देहरादून

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

पत्रांकः–3118/भूमि–2017, दिनांकः– 17.5.17

प्रतिलिपिः–

1. सम्पादक "दैनिक पंजाब केसरी" को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त निविदा सूचना का प्रकाशन आगामी अंक में कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रतियां निशुल्क इस कार्यालय को प्रेषित करायें एवं बिल भुगतान हेतु प्रेषित करें।
2. सम्पदाक "द ट्रिब्यून" अंग्रेजी समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त निविदा सूचना का प्रकाशन आगामी अंक में कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रतियां निशुल्क इस कार्यालय को प्रेषित करायें एवं बिल भुगतान हेतु प्रेषित करें।
3. श्री मनीष पन्त आई0टी0 आफीसर को इस निर्देश के साथ कि उक्त निविदा सूचना को नगर निगम की वेबसाईट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. नोटिस बोर्ड नगर निगम/कलैक्ट्रेट पर चस्पा हेतु।
5. कार्यालय प्रति।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।

निविदा फार्म का मूल्य रू0–1000 वैट 150 कुल 1150/–

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पार्किंग

1. निविदा दाता का नाम :–...पुत्र श्री ....
2. निवासी :– ....
3. जमानत धनराशि :– रू0अंको में ....(शब्दों में)...
5. एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 नं0 :– ....
6. बैंक का नाम :–...
7. पार्किंग स्थल का नाम :–पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पार्किंग, दोनो तरफ गांधी रोड एवं पुराना कबाड़ी बाजार
8. निविदादाता द्वारा भरी जाने वाली निविदा राशि अंकों में :– रू0 ....
(शब्दों मे) ....

निविदादाता दाता के हस्ताक्षर :–.......................................
निविदादाता का नाम :–.......................................
निविदादाता का पूरा पता :–.......................................

निविदा की शर्ते एवं प्राविधान

1. पार्किंग की स्वीकृति दिनांक 01 जून 2017 से दिनांक 31.05.2018 तक के लिये मान्य।
2. नगर निगम द्वारा न्यूनतम् आरक्षित धनराशि रू0– 687000/– निर्धारित है।
3. निविदादाता को निविदा में प्रतिभाग करते समय जिलाधिकारी से रू0–10 लाख तक का हैसियत प्रमाणपत्र, चरित्र प्रमाणपत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, पैनकार्ड कार्ड की छायाप्रति तथा 2 स्वंय सत्यापित फोटो निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। हैसियत प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना न हो।
4. निविदादाता को स्वीकृत निविदा धनराशि की 2 प्रतिशत धनराशि के स्टॉम्प पेपर पर अनुबन्ध गठित करना अनिवार्य होगा तथा 2 प्रतिशत टी0डी0एस0 पृथक से देय होगा।
5. यातायात एवं जनसुविधा हेतु यदि नगर निगम अथवा जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने पर निविदादाता को कोई क्षति होती है तो नगर निगम द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी।
6. धरोहर/जमा धनराशि नगर आयुक्त नगर निगम के नाम प्लेज करनी अनिवार्य होगी।
7. निविदादाता द्वारा अपने रेट स्पष्ट रूप से शब्दों एवं अंको में लिखें जायेंगे व कटिंग होने की दशा में अपने हस्ताक्षर करने अनिवार्य होंगे।
8. निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा।
9. निविदादादाता द्वारा निविदा स्वीकृत होने पर निविदा स्वीकृति की कुल धनराशि का 25 प्रतिशत 15 दिन के अन्दर तथा 25 प्रतिशत माह जून में तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि माह दिसम्बर तक निगम कोष में जमा करानी अनिवार्य होगी।निर्धारित तिथि तक धनराशि जमा करने की दशा में 18 प्रतिशत का ब्याज पृथक से देय होगा।
10. नगर निगम के डिफ़ाल्टर व बकायेदार व उसके सगे सम्बन्धी निविदा में भाग लेने के पात्र नही होंगे।
11. निविदा डाक के माध्यम से निर्धारित तिथि एवं समय तक भेजी जा सकती है।
12. निविदा के साथ रू0 68700/–की धनराशि की सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 संलग्न करनी अनिवार्य है।
13. नगर निगम द्वारा आरक्षित निविदा धनराशि के सापेक्ष कम निविदा धनराशि अंकित करने वाली फर्म/निविदादाता की जमानत के रूप में दी गयी एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 जब्त कर ली जायेगी।
14. निविदादाता द्वारा पार्किंग स्थल पर किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण व अतिक्रमण नही करेगा तथा न ही किसी अन्य के सबलेट करेगा।
15. पार्किंग स्टैण्ड पर ठेकेदार नगर निगम द्वारा निर्धारित निम्नलिखित दरों का 6 X 4 के 02 बोर्ड अपने व्यय पर जनता के सूचनार्थ लगायेगा ताि बोर्ड को ठेका अवधि तक अनुरक्षित रखेगा।

पार्किंग स्थल का नाम ....
ठेकेदार का नाम ....
पार्किंग की दरें ....

दो पहिया वाहन की पार्किंग दरें

प्रथम 2 घन्टे की पार्किंग दर रू0–3 प्रतिवाहन।

दो घन्टे से अधिक की पार्किंग दर रू0–5 प्रतिवाहन।

चार पहिया वाहन की पार्किंग दरें

प्रथम 2 घन्टे की पार्किंग दर रू0–5 प्रतिवाहन।

दो घन्टे से अधिक की पार्किंग दर रू0–10 प्रतिवाहन।

16. निविदादाता द्वारा पार्किंग स्थल पर नगर निगम द्वारा स्वीकृत कूपन बुक का ही प्रयोग करेगा तथा प्रयोग की गयी कूपन बुक की काउन्टर फाईल नगर निगम कार्यालय में जमा करेगा।
17. निविदादाता नगर निगम के किसी भी अधिकारी, कर्मचारी तथा मा0 सभासदों से पार्किंग शुल्क वसूल नही करेगा।
18. किसी भी वाद की स्थिति में नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून का निर्णय अन्तिम होगा।
19. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून में निहित होगा। किसी भी वाद के लिये क्षेत्राधिकार जिला देहरादून के जिला न्यायालय/न्यायालयों को होगा।
20. निविदादाता को वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु पार्किंग का कार्य सुचारू रूप से पूर्ण करने के उपरान्त जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।
21. निविदादाता को समय–समय पर जारी नगर निगम/जिला प्रशासन के आदेशों का अनुपालन करना होगा।
22. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर स्वीकृति बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दी जायेगी एवं धरोहर के रूप में जमा सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 जब्त कर ली जायेगी।

कर अधीक्षक, भूमि
नगर निगम, देहरादून।